



न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर म०प्र०
प्रकरण कमांक निगरानी/2016 निग-3333-11-16

बिन्नी (चक्रवीर) अरोरा आ. श्री राजेन्द्र सिंह अरोरा
 आयु वयस्क निवासी गंगा आश्रम सीहोर तहसील

श्री निगरानी वि. जिला सीहोर म०प्र०।.....निगरानीकर्ता
 द्वारा आज दिनांक 27/9/16 को
 परस्तुत विरुद्ध

राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर म०प्र० शासन।.....रेस्पॉण्डेंट

27/9/16
RVB
82
27-9-16

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.संहिता 1959 विरुद्ध आदेश
दिनांक 22/09/2016 प्रकरण कमांक 25/अ-68/15-16 शासन
विरुद्ध बिन्नी अरोरा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय,
सीहोर द्वारा पारित किया गया।

प्रकरण जो आहुत किये जाने है:-

01. प्रकरण कमांक 25/अ-68/15-16 (शासन विरुद्ध बिन्नी अरोरा)
पारित द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, सीहोर
जिला सीहोर द्वारा पारित दिनांक 22/09/2016

27.9.16

ft

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

346

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक जि० - 3333/II/16

जि० / 2018

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
26/12/18	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>श.जी. राजवती</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार - <u>श.जी.</u> के प्रकरण क्रमांक <u>25/32-68/15-16</u> में पारित आदेश दिनांक <u>22-9-16</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला <u>श.जी.</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>03/04/19</u> को कलेक्टर जिला <u>श.जी.</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"><u>सदस्य</u></p>	

श.जी.